

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 661/2023 (धारा 14 सिक्कुरिटाईजेसन)

पेगासुस एरोट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस 55-56 पांचवी मंजिल प्री प्लास हाउस
नरीमन पोईंट मुम्बई।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. मैसर्स ग्लोरियस आउटफीट एन एक्सपो जरिये विधिक वारिसान श्री गौरव जैन (प्रोपराईटर/मृतक) पता- शॉप नम्बर एस-9 पहली व दूसरी मंजिल, महावीर नगर, टोंक रोड, जयपुर
2. श्रीमति संतोष सेठी पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार सेठी
3. श्रीमति सिम्मी जैन पत्नी स्वर्गीय श्री गौरव जैन (विधिक वारिस/उत्तराधिकारी स्वर्गीय श्री गौरव जैन)
4. वरोनिका जैन (जरिये संरक्षक श्रीमति सिम्मी जैन) पुत्री स्वर्गीय श्री गौरव जैन (विधिक वारिस स्व श्री गौरव जैन)
5. हिमांग जैन (जरिये संरक्षक श्रीमति सिम्मी जैन) पुत्र स्वर्गीय श्री गौरव जैन
पता- प्लाट नम्बर 265, महावीर नगर, टोंक रोड, जयपुर

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

उपस्थित :- श्री प्रमोद कुमार अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 30.06.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आरबीएल बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 31.05.2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमति संतोष सेठी के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लाट नम्बर 265, महावीर नगर, दुर्गापुरा, टोंक रोड, जयपुर कुल क्षेत्रफल 244.65 वर्गज को बन्धक रख कर 1,06,00,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। उक्त ऋण आरबीएल बैंक द्वारा दिनांक 31.03.2021 को प्रार्थी कम्पनी को असाईन कर दिया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 15.11.2021 को रजिस्टर्ड/कोरियर से नोटिस जारी किये जो कि अप्रार्थीगण को प्राप्त हो गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

4-0
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर



2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगण को कुल राशि 1,06,00,000/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन.पी.ए. घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 48,36,767/- रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 15.11.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का जवाब दिया गया जो कि विधिनुसार निस्तारित कर दिया फिर भी अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमति संतोष सेठी के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 265, महावीर नगर, दुर्गापुरा, टॉक रोड, जयपुर कुल क्षेत्रफल 244.65 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु प्राबन्ध करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर



आदेश आज दिनांक 30.06.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

प्रकाश राजपुरोहित
 (प्रकाश राजपुरोहित)
 जिला मजिस्ट्रेट
 (कलक्टर) जयपुर